निविदा शर्ते

1. निविदाकार को कार्यालय द्वारा प्रदाय निर्धारित प्रपत्र में ही निविदा समय सीमा में प्रस्तुत करना होगा।
2. आउटसोर्स कर्मचारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पृथक–पृथक दर उपलब्ध कराना होगा।
3. पदों की सीमा को घटाने एवं बढ़ाने का पूर्ण अधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल का होगा।
4. सफल निविदाकारों को निम्नांकित आउटसोर्स कर्मचारियों के योग्यतानुसार वांछित सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। उक्त पदों की योग्यता निम्नानुसार होगी।

क्रं.	पद	योग्यता
1	सहायक प्रोग्रामर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से एम.सी.ए./एम.एस.सी. (गणित/सांख्यिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स विषय) की स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पी.जी.डी. सी.ए. या किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय से बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स) में उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण
2	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के अंकों सहित स्नातक/किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय अवधि का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र, डाटा एन्ट्री 10000 Key Depression प्रति घण्टा की गति हो।
3	भृत्य	कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

5. सीलबंद निविदाएं जिला निर्वाचन कार्यालय आगर को दिनांक 03.11.2016 को दोपहर 3.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी। निविदाएं उसी दिन उपस्थित निविदाकारों के समक्ष सायं 4.00 बजे खोली जावेगी। नियत समय सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
6. निविदाकारों को निविदा के साथ रूपये 15000 (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) की अमानत राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। जिन निविदाकारों की निविदा स्वीकृत नहीं होगी। उन्हें अमानत राशि वापस कर दी जावेगी।
7. सफल निविकार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आगर–मालवा के पक्ष में आहरित 1,25,000 (रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) संविदा की अवधि को कवर करने वाली परफार्मेस सिक्यूरिटी डिपोजिट जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक गारंटी के रूप में हो, जमा करना होगा। बैंक गारंटी समय–समय पर नवीनीकृत की जा सकेगी।
8. सेवा प्रदाता संस्था के लिये अपेक्षित है कि निम्नांकित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां निविदा प्रपत्र भाग– 1 के साथ संलग्न करें:–
   1. आवेदक संस्था का पंजीयन प्रमाण–पत्र
   2. पैन/जीआईआर कार्ड की प्रति
   3. पिछले तीन वित्तीय वर्षो के लिए दाखिल आईटी विवरणी की प्रति वार्षिक टर्न रूपये 30 लाख
   4. ईपीएफ एंव ईएसआई प्रमाण पत्रों की प्रतियां
   5. आयकर एवं सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति
   6. बैंक खाते की प्रमाणित प्रतियां जिनमें पिछले तीन वर्षो के दौरान लेन–देन किए गए हो।
   7. सेवा प्रदाता एजेन्सी/संस्था के पास शासकीय विभागों/उपक्रमों/बैंकों/निर्वाचन आदि में कर्मचारी उपलब्ध कराने एवं उन्हें प्रशिक्षण देने का कम से कम तीन वर्षो का अनुभव होना चाहिए।
9. किसी भी संस्था/एजेन्सी का चयन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आगर–मालवा के अनुमोदन अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुये किया जावेगा।
10. निविदाएं स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी आगर–मालवा को होगा तथा बिना कोई कारण बताए सभी निविदाएं निरस्त करने का अधिकार होगा। कलेक्टर एवं जिला अधिकारी आगर–मालवा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इसके विरूद्ध किसी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकेगा।
11. आउटसोर्स कर्मचारियों को एजेन्सी द्वारा वेतन भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से देय होगा।
12. आउटसोर्स पर सेवाएं देने वाली एजेन्सी/व्यक्ति को शासन को देय सर्विस टेक्स, स्वच्छ भारत सेस चार्ज, कृषि कल्याण सेस चार्ज, शुल्क प्रतिशत की राशि का भुगतान करना होगा। निविदाकार को वित्तीय निविदा में सभी टेक्स, ई.पी.एफ. आदि को सम्मिलित कर निविदा प्रस्तुत करना होगी। अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
13. सफल निविदाकार का चयन तकनीकी निविदा प्रपत्र में Quote करना होगा।
14. सफल निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 01 जनवरी 2016 को 18 वर्ष पु0(सा0) 35 वर्ष आरक्षित वर्ग अ0जा0, अ0ज0जा0, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष एवं म.प्र. सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबन्ध) नियम 1997 के नियम 47 के अनुसार 10 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट तथा विधवा परित्याक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में न्यायालय या जाति रिवाज के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा परित्यागता महिला को राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम का न हो, का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित महिला

को विवाह के पश्चात् उसके पति ने औपचारिक रूप से तलाक प्राप्त किये बिना छोड़ दिया है और उसे उसके पति से कोई गुजारा भत्ता भी प्राप्त नही हो रहा है।

15. सफल निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को जिला निर्वाचन कार्यालय/जिले के किसी भी अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय/तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में पदस्थ किया जावेगा। जिसके लिये वह बाध्य होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
16. सफल निविदाकार के चयनित आउटसोर्स पदों पर उपलब्ध कराये गये कर्मचारी नियमित नहीं माने जावेंगे तथा किसी भी समय उन्हें पद से पृथक किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के दावे के लिये निविदाकार उत्तरदायी होगा।
17. सफल निविदाकार नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि और न्यूनतम मजदूरी के संबंध में साविधिक उपबंधों के अनुपालन के लिये उत्तरदायी होगा। इस संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
18. सफल निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी ऐसे दस्तावेजों या सूचनाओं से अवगत होगे जो गोपनीय है। अतः उन्हें गोपनीयता की शपथ लेनी होगी और इस शर्त का उल्लंघन करने पर सेवा प्रदाता संस्था के साथ–साथ संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध सुसंगत उपबंधों या भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक दण्ड संहिता के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही के भागी होगे। इस संबंध में सभी नियुक्त कर्मचारियों को लिखित में प्रपत्र में शपथ देना होगा।
19. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों का स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से पुलिस वेरीफिकेशन कराना होगा।
20. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी नियमित नहीं माने जायेगे तथा कर्मचारी द्वारा इस प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत नही किया जायेगा।
21. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा। यदि उनके द्वारा अपेक्षा अनुसार कार्य नही किया जाता है या लंबी अवधि अवकाश लिया जाता है तो 03 दिवस के भीतर दूसरा कर्मचारी उपलब्ध कराना होगा। शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो निविदा अस्वीकृत की जाकर जमा की गई अमानत राशि शासन पक्ष में राजसात की जावेगी।
22. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों के वेतन का भुगतान उनकी उपस्थिति के आधार पर बैंक के माध्यम से ई–भुगतान पद्धति से किया जावेगा। सफल निविदाकार को नियुक्त कर्मचारियों को प्रतिमाह 05 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य होगा।
23. आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य हेतु अवकाश के दिवसों पर भी बुलाया जा सकता है। किसी भी समय कार्य करने हेतु बाध्य रहेगा। सामान्य रूप से कार्य की अवधि प्रातः 10.30 बजे से सायः 5.30 बजे तक रहेगी।
24. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आगर–मालवा को रहेगा एवं उनका निर्णय अंतिम रहेगा। उनके निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद नही लाया जा सकेगा।
25. सभी अभिप्रायों और प्रयोजनों के लिये आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न श्रम कानूनों के अर्थो के अन्तर्गत सेवा प्रदाता " नियोक्ता " होगा।
26. सेवा प्रदाता द्वारा आउटसोर्स पर नियुक्त कमचारी को अपने कार्यो/कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान चोट लगने या किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिये निर्वाचन आयोग तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगे।
27. सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त आउटसोर्स कर्मचारी सेवा समाप्ति के पश्चात् या सेवा के दौरान शासन को नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं भत्तों और वेतन के न तो हकदार होगे और न ही इसका कोई दावा कर सकेंगे।
28. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी यदि अपने कार्य से अनुपस्थित रहते है तो उनके वेतन की अनुपातिक कटौती की जावेगी।
29. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह संविदाकार एजेन्सी को एक सप्ताह का नोटिस देकर एक पक्षीय रूप से अनुबंध किसी भी समय रद्द कर सकेगा।
30. सफल निविदाकारों को रूपये 500.00 के नान जुडिसियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा निष्पादित अनुबंध अनुसार कर्मचारी उपलब्ध कराना होगा।
31. निविदा दो भाग में प्रथम तकनीकी एवं द्वितीय वित्तीय का पृथक पृथक लिफाफा प्रस्तुत करने होगे।
32. दो या अधिक निविदाकारों की दर समान होने पर पदवार लॉटरी द्वारा निविदा का चयन किया जावेगा।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला आगर–मालवा (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन)
जिला आगर–मालवा (म.प्र.)

कलेक्टर दर पर आउटसोर्स के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय एवं जिलें के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों हेतु नवीन पदों की (निर्वाचन कार्य) के लिये सहायक प्रोग्रामर, डाटा एन्ट्री आपरेटर तथा भृत्य (एक पद) के पदों की पूर्ति हेतु निविदा :–

–:: निविदा–प्रपत्र तकनीकी/अर्हता (भाग–एक) ::–

दिनांक ________________
निविदा फार्म क्रमांक ________________
मुल्य रूपये 500/– ________________

1. निविदाकार फर्म/संस्था का नाम :– ....
....

2. फर्म/संस्था के प्रोपाईटर/निर्देशक का नाम :– ....
....

3. फर्म/संस्था के पंजीकृत कार्यालय का पूर्ण पता :– ....
....

4. दूरभाष क्रमांक :– ....
5. सेवा प्रदाता संस्था का पंजीयन क्रमांक .... दिनांक ....
(पंजीयन के दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न करे)
6. सेवा प्रदाता फर्म/संस्था का बैंक विवरण :– बैंक का नाम ....
बैंक शाखा का नाम .... बैंक का IFSC Code ....
(पिछले 03 वर्षो के आय व्यय लेखा विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न करे)
7. सेवा प्रदाता फर्म/संस्था का पिछले 03 वर्षो का टर्न ओवर :–

वित्तीय वर्ष	राशि (रू. लाख में)	टिप्पणी यदि कोई हो
2013–14		
2014–15		
2015–16		

8. सेवा प्रदाता का ई.पी.एफ. पंजीयन क्रमांक :– ....
(सत्यापित प्रति संलग्न करे)
9. सेवा प्रदाता का ई.एस.आई. पंजीयन क्रमांक :– ....
(सत्यापित प्रति संलग्न करे)
10. सेवा प्रदाता का सर्विस टेक्स पंजीयन क्रमांक :– ....
(सत्यापित प्रति संलग्न करे)
11. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा पिछले 03 वर्षो में इस प्रकार प्रदाय की गई संविदा सेवाओं अनुबंधों का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण :–

क्रं.	विभाग/संस्था का नाम/पता/दूरभाष एवं फेक्स नं.	प्रदाय की गई सेवा का विवरण		संविदा अनुबंध की राशि (रू. लाख में)	संविदा की अवधि	
		सेवा का प्रकार	संख्या		कब से	कब तक
1	2	3	4	5	6	7

12. अमानत की राशि का विवरण :–
डी.डी. क्रमांक .... दिनांक ....
राशि ....
13. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक देय सभी प्रभारों का राज्य शासन को भुगतान किये जाने का अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।
14. क्या सेवा प्रदाता फर्म/संस्था के विरूद्ध किसी भी प्रकार के किसी सक्षम न्यायालय में दावा/वाद या कोई प्रकरण विचारधीन/प्रचलित है। यदि हॉ तो विवरण पृथक से संलग्न करे।

//घोषणा//

1. मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नि/श्री .... उपर्युक्त सेवा प्रदाता फर्म/संस्था का प्रोपाईटर/निर्देशक/प्राधिकृत अधिकारी हस्ताक्षरकर्ता इस घोषणा को एवं इस संविदा दस्तावेज को हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हू।
2. मैंने संविदा की सभी शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ा एवं समझ लिया है और मैं उन्हें मानने का वचन देता हूँ।
3. उपर्युक्त निविदा प्रपत्र के साथ प्रदान की गई सूचना/प्रस्तुत एवं संलग्न किये गये दस्तावेज मेरी सर्वोच्च जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं प्रमाणिक है। मुझे/हमें यह अच्छी तरह ज्ञात है कि किसी प्रकार की झूठी सूचना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने से किसी भी चरण में हमारी संविदा सेवा निरस्त कर दी जावेगी और इसके साथ-साथ उपर्युक्त विधि के अन्तर्गत देयता के लिये विधिसंगत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

प्राधिकृत अधिकारी/संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

दिनांकः-..

स्थानः-..

फर्म/संस्था की मुहरः- ....

–:: निविदा–प्रपत्र वित्तीय (भाग दो) ::–

1. सहायक प्रोग्रामर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/भृत्य की सेवाओं के लिए दिए जाने वाले वेतन का विवरण एवं कोटेशन

क्रं.	पद का नाम	पद संख्या	कलेक्टर दर		रूपये प्रति पद		योग	एक पद की दर	
			वेतन	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल वेतन	सेवा प्रभार		अंकों में	शब्दों में
1	सहायक प्रोग्रामर	03							
2	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	08							
3	भृत्य	01							

वेतन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से देय होगा।

प्राधिकृत अधिकारी/संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

दिनांकः–...

स्थानः–...

फर्म/संस्था की मुहरः– ....